

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश : 1464 2021 दिनांक 03.07.2021

श्रीमती ज्योति देवी शर्मा (RJ1048), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ (टोंक) को दिनांक 27.04.2021 से 08.06.2021 तक 42 दिनों का गर्भपात अवकाश (Miscarriage Leave) नवीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ (टोंक) ने उनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर उनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ (टोंक) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

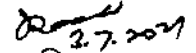
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 02-07-2021

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/36/2016/4209

दिनांक 03.07.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 4296 दिनांक 10.06.2021 के मन्दर्भ में।
3. श्रीमती ज्योति देवी शर्मा (RJ1048), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ (टोंक)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ (टोंक)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाड़ (टोंक)।


सहायक रजिस्ट्रार